



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268650
CG-DL-E-19122025-268650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369| नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947
No. 369| NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2025

सं. 37/2025-26

विषय: मानक निविष्टी उत्पादन मानदंड (सिओन) ए-290 में संशोधन।

फा.सं. 01/82/0024/एएम-26/डीईएस-III.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा सिओन-ए-290 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आयात मदों हेतु माप की इकाई (यूओएम) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

सिओन स.	निर्मात उत्पाद	मात्रा	क्र.सं.	आयात मद	यूओएम सहित मौजूदा मात्रा	यूओएम सहित संशोधित मात्रा
ए-290	मेटफोर्मिन एचसीएल	1 कि.ग्रा.	1	डाइसाइंडीमाईड	0.567 किग्रा/किग्रा	0.567 किग्रा
			2	डीएमएफ	0.37 किग्रा/किग्रा	0.37 किग्रा

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: सियोन ए-290 के अंतर्गत आयात मदों हेतु माप की इकाई (यूओएम) को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाता है।

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th December, 2025

No. 37/2025-26

Subject: Amendments in Standard Input Output Norms (SION) A-290.

F.No. 01/82/0024/AM-26/DESIH.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy-2023 as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in Unit of Measurement (UOM) for the import items specified under SION A-290:-

SION No.	Export Product	Qty.	Sl. No.	Import item	Existing Qty. with UOM	Amended Qty with UOM
A-290	Metformin HCL	1 kg.	1	Dicyanodiamide	0.567 kg/kg	0.567 Kg.
			2	DMF	0.37 kg/kg	0.37 Kg.

Effect of the Public Notice: The Unit of Measurement (UOM) for the import items under **SION A-290** stands amended with immediate effect.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.